

पत्रांक-10/न्याय-05-(शेखपुरा)-15/2015सा0प्र0...5.2.23/

वित्त विभाग द्वारा
अनौपचारिक रूप से
परामर्शित

बिहार सरकार,
सामान्य प्रशासन विभाग।

प्रेषक,

राजेन्द्र राम,
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

सभी विभाग,
सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार।

पटना-15 दिनांक-3-5/2017

विषय:- बिहार क्षेत्रीय कार्यालय एवं समाहरणालय आशुलिपिक/आशुटंकक संवर्ग के विभिन्न पदों की स्वीकृति।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक एवं वित्त विभागीय संकल्प संख्या-3011 दिनांक-20.03.2012 तथा संकल्प संख्या-7549 दिनांक-22.09.2016 के द्वारा आशुलिपिक/आशुटंकक संवर्ग में निम्नांकित स्तर के पदों एवं वेतनमान की स्वीकृति दी गयी है :-

क्र०	कोटि	स्तर	वेतनमान
	आशुलिपिक ग्रेड III आशुटंकक III	मूल कोटि	पी0बी0-1+ग्रेड पे 2400 (वित्त विभागीय संकल्प संख्या-3011 दिनांक- 20.03.2012 के क्रम में)
	आशुलिपिक, ग्रेड II आशुटंकक II	प्रोन्नति का प्रथम स्तर	पी0बी0-2+ग्रेड पे 4200 (वित्त विभागीय संकल्प संख्या-3011 दिनांक- 20.03.2012 के क्रम में)
	वरीय आशुलिपिक, ग्रेड I आशुटंकक I	प्रोन्नति का द्वितीय स्तर	पी0बी0-2+ग्रेड पे 4600 (वित्त विभागीय संकल्प संख्या-3011 दिनांक- 20.03.2012 के क्रम में)
	प्रधान आशुलिपिक प्रधान आशुटंकक	प्रोन्नति का तृतीय स्तर	पी0बी0-2+ग्रेड पे 4800 (वित्त विभागीय संकल्प संख्या-7549 दिनांक- 22.09.2016 के क्रम में)

उक्त क्रम में प्रत्येक जिला में स्वीकृत पदों के अन्तर्गत इस संवर्ग के मूल कोटि एवं प्रोन्नति के पदों का निर्धारण 40 : 30 : 20 : 10 के अनुपात में रहेगा। यह प्रावधान प्रत्येक जिला में बिहार क्षेत्रीय कार्यालय एवं समाहरणालय आशुलिपिक/आशुटंकक संवर्ग (संशोधन) नियमावली, 2015 के अधिसूचित होने की तिथि 11.06.2015 के प्रभाव से लागू होगा।

विश्वासभाजन

(राजेन्द्र राम)

सरकार के अपर सचिव।